न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 44/2024

1. मोहम्मद विशाल पुत्र आमीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर

– रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अपीलांट।

निर्णय दिनांकः–20.03.2025

अपीलांट मोहम्मद विशाल पुत्र आमीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर द्वारा विरूद्व निर्णय दिनांक 29.10.2024 जिसकी रूह से नामान्तरण सं. 1472 दिनांक 01.08.2024 को विलोपित कर नामान्तरण निरस्त किया गया, को अपास्त करवाकर पुनः नामान्तरण सं. 1471 दिनांक 01.08.2024 को बहाल करने बाबत् अपील पेश की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 153/153 के ख.नं. 41/3 की 2.4660 हैक्टेयर बारानी भूमि में से 20443/24660 हिस्सा भूमि युनस पुत्र मेहरदीन जाति कुम्हार निवासी कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ खातेदार काश्तकार दर्ज है।

2. रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 153/138 के ख.न. 41/3 की 2.4660 हैक्टेयर बारानी भूमि में से युनस पुत्र मेहरदीन जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर से संयुक्तरूप से 204[illegible]/246[illegible] हिस्सा जरिये बैयनामा दिनाक 25.07.2024 को खरीद की थी [illegible] 25.07.2024 को बैयनामा के अनुसार नामान्तरण सं. 1472 दिनांक 01.08.2024 के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत हो गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.03.28 14:07:12 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

3. दिनांक 22.10.2024 को महावीर पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर से रेस्पोडेन्ट सं. 1 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 153/138 के ख.न. ने 41/3 की 2.4660 हैक्टेयर बारानी भूमि में आमीन पुत्र नानू खां जाति कुम्हार इकरारनामा लिखवाकर उक्त कृषि भूमि में प्लॉट काट कर बैचा था। जब मुझ मिकर ने आमीन से उक्त इकरारनामा की कापी मांगी तो कहा आपको प्लॉट काट कर बैचा था। आपकी इकरारनामा की आवश्यकता नही है। आपका पट्टा बनवा दुंगा लेकिन आमीन के स्वर्गवास के बाद उक्त भूमि को मोहम्मद विशाल पुत्र आमीन ने अपने नाम से बैय कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ली है और उक्त भूमि पर काटे गये प्लॉटो को पुनः पैसा देकर लोगो को बैच रहे है। उक्त प्लॉट का कब्जा मिकर के पास है, जो दिनांक 15.10.2023 को जरिये इकरारनामा से प्लॉट सं. 3 व 4 साईज 40 x 30 x 2 = 2400 वर्गफुट को खरीद शुदा है, जो नोटेरी से तस्दीक शुदा है। इसलिए रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 153/138 के ख.न. 41/3 की 2.4660 हैक्टेयर बारानी भूमि में मोहम्मद विशाल पुत्र आमीन के नाम से नामान्तरण दर्ज खारिज किया जावे, का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने स्वंय **Review** लिखकर पटवार हल्का चक सरदारपुरा तहसील नोहर को भेजकर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की जांचकर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करे।

4. पटवारी हल्का चक सरदारपुरा तहसील नोहर द्वारा 28.10.2024 को आदेश क्रमांक /भू.अ./2024/7763 दिनांक 23.10.2024 के क्रम में रिपोर्ट प्रस्तुत कि रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 153/138 के ख.न. 41/3 की 2.4660 हैक्टेयर बारानी भूमि में नामान्तरण सं. 1472 दिनांक 29.08.2024 बैयनामा रिकार्ड दर्ज हुआ। वर्तमान में उक्त खाता सं. 153 महावीर पुत्र श्रवण कुमार हिस्सा 1337/24660 हिस्सा जाति जाट निवासी प्रेमनगर तहसील रावतसर, मोहम्मद विशाल पुत्र आमीन हिस्सा 4529/12330 जाति कुम्हार साकिन नोहर, युसफ पुत्र मेहरदीन हिस्सा 253/548 हिस्सा जाति कुम्हार साकिन नोहर श्योकत अली पुत्र नानू खां हिस्सा 16/137 हिस्सा जाति कुम्हार साकिन नोहर खातेदार काश्तकार दर्ज है जरिये नामान्तरण सं. 1472 स्वीकृति [illegible].08.2024 के द्वारा यूनस पुत्र मेहरदीन जाति 20443/24660 हिस्सा जाति कुम्हार साकिन नोहर खातेदार, युनस पुत्र मेहरदीन 253/458 हिस्सा जाति कुम्हार साकिन नोहर रिकार्ड दर्ज है रिपोर्ट सादर प्रेषित है एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने दिनांक [illegible].10.2024 को नामान्तरण विलोपित करने के आदेश जारी कर दिये गये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.03.28 14:07:12 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

5. आमीन खां पुत्र नानू खां जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर वार्ड सं. 21 नोहर तहसील नोहर ने ख.न. 41 में से प्लॉट सं. 3 व 4 साईज 40 X 30 X 2=2400 वर्गफुट को रजाक पुत्र कासम अली जाति कुम्हार मुस्लिम निवासी फेफाना तहसील नोहर को बैय किये गये थे एवं ख.न 43/3 की भूमि अलग थी एवं पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट में कही भी प्लॉट से सम्बधित हवाला नही दिया गया है जबकि एक तरफा तौर से बगैर सुने नामान्तरण सं. 1472 दिनांक 01.08.2024 को निरस्त कर दिया, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के मूलभूत सिद्धान्तो के विपरित आदेश पारित किया है, जो कि काबिले खारीजी के है।

6. अपीलान्ट खरीददार काश्तकार था तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया तथा ना ही अपीलान्ट को नोटिस दिया गया जबकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि किसी पक्षकार का बिना सुने एवं नोटिस दिये निर्णय पारित किया गया है, इसलिए रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा पारित आदेश अपास्तनीय है एंव विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश मूलभूत सिद्धान्तो के विपरित है।

7. अन्य वजुहात वरवक्त बहस अर्ज किये जावेगे।

8. अपील अपीलान्ट न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार की है तथा ज्ञान से अन्दर मियाद है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे एवं नामान्तरण सं. 1472 दिनांक 01.08.2024 को बहाल रखा जावे एवं निर्णय दिनांक 29.10.2024 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर से अपीलाधीन नामान्तरण की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि नामान्तरण संख्या 1472 दिनांक 01.08.2024 में दर्ज भूमि अपीलांट द्वारा जरिये बैयनामा खरीदशुदा है। बैयनामा के आधार पर नामान्तरण संख्या 1472 दिनांक 01.08.2024 दर्ज हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही नामान्तरण संख्या 1472 दिनांक 01.08.2024 को निरस्त किया, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर के निर्णय दिनांक 28.10.2024 को अपास्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.03.28 14:07:12 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रकरण संख्या 44/2024 अनवान मोहम्मद विशाल बनाम स्टेट

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एंव पत्रावली का अवलोकन एंव तलबशुदा नामान्तरण को अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करनें पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा महावीर पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी ललानियां तहसील नोहर के प्रार्थना–पत्र पर नामान्तरण संख्या 1472 दिनांक 01.08.2024 को रिव्यु कर दिनांक 29.10.2024 को पुनर्विलोपित कर दिया गया। अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट द्वारा नामान्तरण संख्या 1472 दिनांक 01.08.2024 में दर्ज आराजी को जरिये रजिस्ट्रर्ड बैयनामा खरीदशुदा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण संख्या 1472 दिनांक 01.08.2024 को रिव्यु कर दिनांक 29.10.2024 को पुनर्विलोपित करनें में भूल कारित की है, जो न्यायालय के मत में न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा दिनांक 29.10.2024 को पारित निर्णय को अपास्त किया जाता है एंव तहसीलदार नोहर को पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) की जाती है कि इस विवादित भूमि के समस्त पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करे।

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा नामान्तरण की मूल प्रति निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 20/3/25 को सरेइजलास सुनाया गया।

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.03.28 14:07:12 IST
Reason: SelfAttested